एम्स निर्धन निधि खाता हेतु दान

एम्स (मुख्य अस्पताल) में उपचार करवा रहे निर्धन एवं गरीब रोगियों हेतु दान बैंक ड्राफ्ट/चैक के द्वारा "एम्स निर्धन निधि खाता" के पक्ष में किया जा सकता है।

एम्स निर्धन निधि खाता के पक्ष में किए गए दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत छूट के पात्र हैं। बैंक ड्राफ्ट/चैक सह-पत्र के साथ सीधे ही चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 को डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भेजे गए निर्धन रोगियों हेतु दान संबंधी सूचना

एम्स में उपचार करवा रहे निर्धन रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी विभिन्न एन.जी.ओ. (गैर-सरकारी संगठनों) द्वारा जनता को किए जा रहे टेलीफोन पर अनुरोध/ई-मेल की प्रमाणिकता की जांच हेतु जनता से अनेक पूछताछ एवं शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तथापि, इस तरह के मामलों में, इन अनुरोधों की प्रमाणिकता को सत्यापित करना कठिन होता है।

अत: विशेष रोगियों के उपचार हेतु दान केवल चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, एम्स या सम्बद्ध केन्द्र (केन्द्रों) जैसे कि: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्रविज्ञान केन्द्र, हृद् तंत्रिका केन्द्र, डॉ. बी.आर.अं.सं.रो.कैं.अ., जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र एवं दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से अनुरोध प्राप्त होने पर ही किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट/चैक सीधे ही सह-पत्र के साथ चिकित्सा अधीक्षक/सम्बद्ध केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट/चैक केवल विशिष्ट एम्स खाता के नाम पर जारी होना चाहिए। जिस रोगी के लिए दान किया जा रहा है उसका नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक के पीछे, ओ.पी.डी. पंजीकरण संख्या/सी.आर. संख्या सहित लिखा होना चाहिए।